ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 315-318**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

मानवाधिकार के समक्ष वर्तमान सामाजिक चुनौतियाँ

डॉ0 दीप कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर– रक्षा अध्ययन विभाग, एस0 एम0 कालेज चन्दौसी, सम्भल, (उ0प्र0), भारत

Received- 09.12. 2021, Revised- 11.12. 2021, Accepted - 14.12.2021 E-mail: deep_srivastava76@yahoo.com

सारांश: ***मानवाधिकार किसी विवेकशील मुनष्य के लिए 'स्वतन्त्रता' सर्वाधिक सम्मोहक एवं आकर्षक शब्द है। किन्तु प्रत्येक स्वतन्त्रता अपने आप में अनेक परिभाषित एवं अपरिभाषित अधिकारों से गहनता से सम्बद्ध रहती है। व्यापक अर्थों में स्वतन्त्रता में, स्वतन्त्रता एवं अधिकार को अलग–अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ऐसे ही अधिकारों की श्रेणी में मानव अधिकार भी आते हैं जो मनुष्य की स्वतन्त्रता को पूर्ण एवं अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु आधार अथवा दिशा निर्देश देते हैं। साधारण शब्दों में–''मनुष्यों के इस समाज में मनुष्यों द्वारा परिभाषित वे आख्याएँ हैं जो किसी मनुष्य को उस प्रकार का जीवन उपलब्ध करा सकें जो मनुष्य की गरिमानुकूल हैं।''***

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, विवेकशील मुनष्य, स्वतन्त्रता, सर्वाधिक सम्मोहक, परिभाषित, अधिकारों।

मानव की स्वतन्त्रता एवं उसकी गरिमा का क्षेत्र बहुत व्यापक हैं । अतः मानव अधिकारों का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक एवं वृहद् है । वस्तुतः अधिकारों के बिना मनुष्य का सर्वागीण विकास सम्भव ही नहीं, अधिकार ही सामाजिक जीवन की परिभाषा एवं वातावरण तय करते हैं एवं अधिकार विहीन मनुष्य का जीवन स्वतन्त्रता, विकास की अवस्थाओं को प्राप्त नही कर सकता । इस प्रकार उसका जीवन समाज एवं स्वयं उसके लिए घृणित तथा निन्दनीय होगा । अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है । अधिकारविहीन मानव का जीवन शोषण दासता एवं असमानता की एक दुखद कथा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा । आज मानव अधिकार एक गम्भीर मुद्दा बन कर राष्ट्र एवं समाज के समक्ष आ रहे हैं । मानव अधिकारों का हनन न सिर्फ सभ्य समाज हेतु चिन्ता का विषय है अपितु मानव अधिकार के हनन का मिथ्या आरोप आज राष्ट्र एवं समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है । मानव अपनी उत्पत्ति के साथ ही अपनी मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति एवं सम्बर्द्धन हेतु सतत् प्रयत्नशील रहा है । मानव अपने अधिकतम अधिकारों की सन्तुष्टि हेतु नित – नवीन परम्पराओं , नियम , कानून का सहारा लेता रहा है । मानवाधिकार की उत्पत्ति और विकास राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दो स्तरों पर हुई है । प्राचीन काल में गैर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक मानवाधिकार के संरक्षण तथा सम्बर्द्धन की जड़े बेबीलोनियन विधियों जो लैगास के पूरुका गीना (3260 ई ० पू ०) अक्कड़ के सारगोन (3300 ई ० पू ०) और बेबीलोन के हम्बूरावी (1792–1750 ई ० पू ०) , के शासन काल में प्रख्यापित की गई थी , में देखा जा सकता है । इसी प्रकार मानवाधिकार संरक्षण की जड़े एस्सीरियन विधियों जो टिघलत – पाइलेशर (1115–1077 ई ० पू ०), के शासन काल में और हिट्टाइट विधियों जो राजा टेलपीनस के शासन काल में प्रख्यापित की गई देखी जा सकती हैं । प्राचीन भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं था । वेदकाल के धर्म (1500–500 ई पू ०) भी मानवाधिकार का संरक्षण एवं सम्बर्द्धन करते थे । इसी प्रकार चीन के लाओ से (जन्म 604 ई ० पू ०) और कनफ्यूसियस (550–51–478 ई ० पू ०) के विधिशास्त्र में भी इसे पाया जा सकता है । यूनान के नगर राज्यों ने अपने नागरिकों को बराबर की बोलने की स्वतन्त्रता , विधि के समक्ष समानता, मताधिकार, सार्वजनिक पदों पर चुने जाने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया मानव अधिकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हैरोल्ड लास्की का कहना है कि, '' अधिकार मानत जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता । '' मानव के लिए जहाँ रोटी, कपड़ा और आवास अपरिहार्य है वहीं पर उसके साथ अन्य महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान मानव समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं और इसमें मानवाधिकार भी शामिल है । इस प्रकार मोटे तौर पर मानवाधिकार को हम वे अधिकार कह सकते हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए, वे अधिकार उसमें मानव होने के नाते अन्तर्निहित हैं, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। संक्षेप में वे अधिकार जो मानव को भय ' और ' भूख ' से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक हैं, मानवाधिकार की परिधि में आ सकते हैं। आज बदलती परिस्थिति में प्रत्येक मानव के नूतन नवीन मानव अधिकारों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विधि सम्मत उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं आयोगों द्वारा किया जा रहा है । भारतीय संविधान में मानव समाज में व्याप्त विषमता दूर करने का प्रयास भी किया गया है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी हमारे संविधान में है । विशेषज्ञों के अनुसार हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता एवं न्याय को सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय एवं समाजिक सुरक्षा और मानवाधिकार संयुक्त हैं । राष्ट्र एवं समाज की सुरक्षा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य दोनों मोर्चों पर भारत सरकार जूझ रही है । साम्प्रदायिक दंगा, सामाजिक

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

संघर्ष, राजनीतिक अपराधीकरण एवं अलगाववाद आदि समस्याओं से भारत को जूझना पड़ रहा है। आन्तरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बना कर ही देश को विखण्डित होने से बचाया और उसका समुचित विकास किया जा सकता है। जहाँ तक बाह्य सुरक्षा का प्रश्न है, भारत के सभी पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाए हैं। यह हमारी विदेश नीति की सीमित सफलता का द्योतक है कि सीमाओं के विवाद स्थायी रूप से हल नहीं हो पाए हैं। किसी पड़ोसी देश की धरती से आतंकवादी कार्यवाहियों को बढ़ावा देना हमारे देश के लिए एक गम्भीर समस्या है। यदि समय रहते इन गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर निर्णय नहीं लिए गए तो मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए यह समस्या नासूर बन जाएगी। ऐसी ही अनेक गम्भीर समस्याएं , जो निम्न है 1– मानव तस्करी एवं मानवाधिकार आज मानव तस्करी एवं संगठित अपराध का रूप ले चुका है। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार – प्रसार के साथ सेक्सवर्करों की बढ़ती माँग ने महिलाओं और लड़कियों की अवैध मानव तस्करी को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया है । आज यह लाखों – करोड़ो डालर का कारोबार है। जिसे महानगरों में बैठे सफेदपोश लोग इसका संचालन कर रहे है . और गरीबी बेरोजगारी एवं भूखमरी से तंग लोग इनके आसान शिकार बन रहे है। बड़े शहरों या विदेशों में अच्छी नौकरी दिलाने अमीर व्यक्ति से शादी करवाने जैसे प्रलोभनों से भोले – भाले मासूम जिन्दगियों को शिकार बनाया जाता है । इन मानव तस्करों की असलियत जब – तब उजागर होती है, तब तक काफी विलम्ब हो चुका होता है । इन मानव तस्करों का सम्बन्ध मुम्बई , दिल्ली , कोलकाता के अतिरिक्त विदेशों में भी नेटवर्क फैला हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय अपराध जगत में सबसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित धन्धे को मानव तस्करी कहा जाता है । बच्चों के मामले में इसे बैपसक ज्तंपिबापदह नाम दिया जाता है । दरअसल इस व्यापार के लिए की गयी मानव तस्करी के और भी अनेक कारण है, किन्तु देह व्यापार इसमें सबसे ऊपर है बलात् श्रम, मानव अंग, व्यापार, बच्चों का अवैध दत्तक ग्रहण , बाल विवाह, अशासकीय सेना में भर्ती, भिखमंगी, अमानवीय खेलों (ऊट दौड़) मंदिरों में बलात श्रम , देवदासियों जैसे अनेकानेक कार्य है, जिसके लिए महिलाओं, बच्चों का अपहरण कर विदेशों में भी भेजा जाता है। " सरकार की ओर से पूर्व में कराये गये एक अध्ययन के अनुसार देश में लगभग 30 लाख सेक्स वर्कर्स है, जिनमें लगभग 40 प्रतिशत बच्चे हैं । एक करोड़ से अधिक महिलाएं और बच्चे भारत के वैश्यालयों में रहते हैं । तस्करी की शिकार, बाहर से लायी गयी लड़कियों को दास के समान रखा जाता है घातक शारीरिक शोषण, बलात्कार, कठोर प्रताड़ना और नियमित शोषण ही उनकी जीवनशैली है । सीमापार से महिलाओं और बच्चों की तस्करी के बारे में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 20 से 25 हजार महिलाएं और बच्चे तस्करी से यहां आ रहे है। उनमें सबसे ज्यादा संख्या बंग्लादेश व नेपाल से आने वालों की है, जब कि सार्क देशों में भारत तस्करी का मुख्य केंद्र बन गया है। नेपाल और बंग्लादेश जैसे देशों की नितांत गरीबी और भारत से अर्थिक और राजनीतिक संबंधों ने महिलाओं की तस्करी को बढ़ावा दिया है। नौकरी और उच्च वेतन का प्रलोभन इन्हें तस्करों के हाथों में पहुंचाते है, और एक बार इनके चंगुल में फंसने पर वहां से निकलना असंभव है किसी देश की राजनीतिक संरचना भी तस्करी की उत्तरदायी होती है। में रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव तस्करी की समस्या अभी भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले गंभीर हैं। इसलिए हाल ही में प्रकाशित अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले छह महीने तक भारत को निगरानी के तहत रखे जाने वाले देशों की श्रेणी में ही रखा जायेगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी भयावान है। बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन होने से भोले – भाले ग्रामीण तस्करी का शिकार हो जाते हैं। आज दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के हो रहे अवैध व्यापार को रोकने के लिए। मानवाधिकार संगठनों के प्रयासों को महत्व देना बहुत आश्वयक है। " 2– नक्सलवाद एवं मानवाधिकार भारत के एक नये प्रकार का आंतक नक्सलवाद के रूप में उपस्थित हो गया है , जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाडी के किसान आन्दोलन के रूप में 25 मई 1967 को प्रारम्भ हुआ , इसका नेतृत्व चारू मजुमदार , कानू सान्याल एवमं जंगल संथाल इत्यादि ने किया। आज नक्सलवादी अपने आन्दोलन से भटक गये है । ये लोग तिरूपति से पशुपति तक (रङ – कारिडोर) लाल गलियारा का निर्माण करके 92000 वर्ग किमी ० क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर रहे है । गुप्तचर संस्था " रा के अनुसार लगभग 20000 सशस्त्र कैडर तथा 50000 सामान्य कैडर है जो देश के 22 राज्यों के 221 जिलों में फैले हुए है, तथा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये लगभग 1500 करोड़ की लेवी दसूलते है । भारत सरकार इनके विरुद्ध आपरेशन ग्रीन हण्ट " चला रही है । आकंड़ों पर ध्यान दिया जाये तो 2005 से 11 दिसम्बर 2011 तक 2282 नागरिक, 1427 सुरक्षाबल, 1809 माओवादी (सम्पूर्ण 5518) मारे जा चुके है । " मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि ये गरीबी, भूख, अशिक्षा, विकास और चिकित्सा सें वंचित लोग है । स्वतंत्रता के 65 वीं वर्षगांठ के बाद भी पूरी तरह इनका शोषण समाप्त नहीं हुआ । ये जल , जंगल , जमीन हेतु संघर्षरत है , जिन्हें सरकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है । ये नक्सलवादी अपने हिंसात्मक कृत्य के साथ ही आने वाले भारत के भविष्य छोटे बच्चों को बन्दुक पकड़ा कर " बाल संघम दल तैयार कर रहे है । महाश्वेता देवी का मानना है भारत सरकार की राय में माओवादी देश की सबसे बड़ी समस्या है । इसका निहितार्थ यह है कि भूखमरी गरीबी , आर्थिक पिछड़ापन , खाद्य संकट और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक है । " सिटिजन इनिशिएटिव फार पीस जैसी

संस्था टकराव का रास्ता छोड़ कर वार्ता के लिए बल दे रहे है । 3– साम्प्रदायिकता एवं मानवाधिकारः साम्प्रदायिकता सम्मुख एक बड़ी चुनौती है । साम्प्रदायिकता राष्ट्र के के अस्तित्व को स्वीकार करने का अर्थ है, धर्म निरपेक्ष भारत के अस्तित्व को नकार देना और इसी अर्थ में विभाजनकारी प्रवृत्ति राष्ट्र और समाज के प्रति सबसे शक्तिशाली एवं वास्तविक खतरा है । भारतीय सन्दर्भ में साम्प्रदायिकता का आशय मुख्य रूप से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच व्याप्त संदेह, भय, प्रतिस्पर्धा, कटुता और हिंसा से है । वर्तमान समय में साम्प्रदायिकता का आधार केवल धर्म ही नहीं है , बल्कि इसके साथ – साथ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ध्येय भी जुड़े है । यह प्रवृत्ति स्वार्थ पूर्णता के लिए धर्म का सहारा लेती है , जिससे तनाव बढ़ता है । आतंकवाद की तरह ही न तो भीड़ का कोई धर्म होता है और न ही कोई मानवाधिकार जब भीड़ आक्रोशित होकर उग्र रूप धारणा कर लेती है, तो इसे दंगा नाम दे दिया जाता है । जिससे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां , कटटर हिन्दूवादी एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के पथ प्रदर्शक अपना राजनीतिक लाभ लेना नहीं भूलते । चाहे कितना भी मानवाधिकार का हनन हो , जो स्वाभाविक है । 1946 से पहले भारत में साम्प्रदायिक तनाव सबसे अधिक था, 72 बड़े साम्प्रदायिक दंगे हुए थे । वर्ष 1984 से लेकर मई 2012 तक दंगों की संख्या 26817 बारदाते हुई . जिससे कुल 12902 लोग मारे गये । '' पिछले तीन सालों में (2009–12) देश में सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में 364 घटनाएं, 64 मृत, 1298 घायल, महाराष्ट्र, में 333 घटनाएं, 53 मृत, 1021 घायल, मध्य प्रदेश में 290 घटनाएं, 50 मृत 675 घायल तथा कर्नाटक में 251 घटनाएं, 25 मृत 703 घायल हुए । '' मानवाधिकार एवं विकास एक दूसरे के पूरक है । जिस राष्ट्र के मानवाधिकार सुरक्षित एवं संत होगे , उस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा । मानवाधिकार की स्थापना शान्ति निर्माण में सहयोग देता है , तथा मानवाधिकारों का हनन संघर्ष और अशान्ति को जन्म देता है, जिससे राष्ट्र एवं समाज की सुरक्षा प्रभावित होती है । भारत में मानवाधिकार इनन की घटनाएं बढ़जी जा रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद उग्रवाद साम्प्रदायिकता, घरेलू हिंसा, बालश्रम, मानव तस्करी , अमानवीय चिकित्सकीय परीक्षण कुपोषण, भ्रष्टाचार, विस्थापन पालयन, भ्रूण हत्या , आत्म हत्या , शुद्धपेय जल आपूर्ति, पर्यावरण चुनौतियां आदि क्षेत्र चिहिन्त किये जा सकते है । पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 50 वीं जयन्ती पर कहा था कि कोई शिशु जन्म लेते ही या पांच साल का होते होते मर जाता है तो उस शिशु को जीने का अधिकार नहीं मिल पाता है, इसी प्रकार यदि कोई बच्चा निरक्षरता के अंधेरे में विश्व में पलता, बढ़ता है तो बच्चे के अपने अधिकार उसे नहीं दिये जाते, जब कोई व्यक्ति बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर जाता है, तो उसे व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है उस शिशु उस बच्चे और उस व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रण लेना होगा । '' उभरती वैश्विक व्यवस्थाओं में मानवाधिकारों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है । भारत में अधिकांश नागरिकों को मानवाधिकार का ज्ञान ही नहीं है । 21 वीं सदी में भारत विकसित राष्ट्र व सशक्त बनने में तभी सफलता प्राप्त करेगा। जब राष्ट्र के नागरिकों को मानवाधिकारों के ज्ञान से अवगत कराया जायेगा। इसके लिए प्राथमिक स्तर से ही मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान किया जाय एवं संचार माध्यमों द्वारा मानवाधिकार संरक्षण हेतु विशेष अभियान चला करे प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जाय ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ड्राइवर, जी0 आर0 और माइल्स, जे0 सी0 द्वारा सम्पादित, दी बेबीलोनियन लाज (1952), एस0 पी0 सिन्हा , ह्यूमन राइट्स फिलासाफिकली'', इण्डियन जनरल ऑफ इन्टरनेशलन लॉ, वाल्यूम 18 न0 2, पृ0– 140.
2. सिन्हा, एस0 पी0, ह्यूमन राइट्स फिलासाफिकली'', इण्डियन जनरल ऑफ इन्टरनेशलन लॉ, वाल्यूम 18 न0 2, पृ0– 140.
3. वाशम, ए0 एल0 दी वाइन्डर दैट वाज इण्डिया (1954), पी0 वी0 काने, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, वाल्यूम । (1930), डब्लू जोन्स, इन्स्टीट्यूट्स ऑफ हिन्दू लॉ, आर आर्डिनेन्सेज ऑफ मून (1869), एस0 पी0 सिन्हा, ह्यूमन राइट्स फिलासाफिकली'', इण्डियन जनरल ऑफ इन्टरनेशलन लॉ, वाल्यूम 18 न0 2 पृ0– 140.
4. सिन्हा, एस0 पी0, ह्यूमन राइट्स फिलासाफिकली'', इण्डियन जनरल ऑफ इन्टरनेशलन लॉ, वाल्यूम 18 न0 2 पृ0– 140.
5. सिन्हा, एस0 पी0, ह्यूमन राइट्स फिलासाफिकली'', इण्डियन जनरल ऑफ इन्टरनेशलन लॉ, वाल्यूम 18 न0 2 पृ0– 140.
6. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल, आर0 डी0 चतुर्वेदी, जास्टिस नेचुरल, सोसल, इलाहाबाद, 1990, पृ0– 793.
7. ह्यूमन एण्ड राईट्स एण्ड न्यू वर्ल्ड आर्डर, टुआर्डस परफेक्शन आफ दी डेमोक्रटिक वे आफ लाइफ, जे0 सी0 जौहरी, नई, दिल्ली, 2003, पृ0–5.

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

8. हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2003.
9. पाण्डेय, सरिता – संगठित अपराधियों पर जोरदार प्रहार की दरकार, योजना, फरवरी–2008, पृ0–15.
10. परीक्षा मंथन – 2008, 2009, पृ0–113.
11. अमरेन्द्र कुमार मिश्र –मानवाधिकार –मानव मूल्यों का रक्षक, पृ0 26.
12. http/wwwsatp.org/satporgtp/countries/indi/maoistdata sheets/fatalitiesn.
13. नक्सलवाद बनाम झारखण्ड – नेक्स्ट जेनरेशन मूवमेन्ट, दिसम्बर –2009, पृ0–19.
14. राय, विभूति नारायण– 'साम्प्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस' राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा0 लि0, दिल्ली, संस्करण–2000, पृ0–18.
15. चन्द्र, प्रो0 विपिन– आधुनिक भारत मे साम्प्रदायिकता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्व विद्यालय, संस्करण –1996, पृ0–4.
16. साहिल, अफरोज आलम– 'साम्प्रदायिकता और धर्म निरपेक्ष पार्टियों का सच'' चौथी दुनिया, दिल्ली, 16 सितम्बर 2012, पृ0–7.
17. इण्डिया टुडे –'अफवाह की चिंगारी से भड़की आग' 3 अक्टूबर 2012, पृ0–31.

*****